


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6715 /

जबलपुर, दिनांक 12 / 09 / 2024

श्री रत्नेश रावते, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को बिना सूचना/आवेदन पत्र के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 18.08.2024 से 27.08.2024 तक 10 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/6716 /

जबलपुर, दिनांक 12 / 09 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री रत्नेश रावते, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)